न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 225 RTA 2023-052 (GCMS 2023-99)

1- भुण्डाराम पुत्र केसाराम
2- पन्नाराम पुत्र केसाराम
दोनों जाति जाट, निवासीगण पीथासनी
तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. लिछमणराम पुत्र कुम्बाराम जाति जाट के कायममुकामान
   1.1. भंवरलाल पुत्र लिछमणराम
   1.2. गोरधनराम पुत्र लिछमणराम
   1.3. थानाराम पुत्र लिछमणराम
   1.4. चौखाराम पुत्र लिछमणराम
   1.5. पुखाराम पुत्र लिछमणराम
   1.6. जेठाराम पुत्र लिछमणराम
   सभी जाति जाट, निवासीगण बिरडावास
   तहसील व जिला जोधपुर
   1.7. इन्द्रा पुत्री लिछमणराम पत्नी ढगलाराम थाकण
   निवासी जाखडों की ढाणी, पोस्ट अखतली
   तहसील व जिला जोधपुर
   1.8. प्रमु पुत्री लिछमणराम पत्नी पूनाराम मातवा,
   निवासी खातियासनी, तहसील व जिला जोधपुर
   1.9. जस्सीदेवी पत्नी लिछमणराम
   निवासी बिरडावास, तहसील व जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर दिनांक 29 नवम्बर 2022 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 13/2021 (84/2021) लिछमणराम बनाम भुण्डाराम इत्यादि

------- 0 -------

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री. पवन चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री बाबुलाल गोरा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 04 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 13/2021 (84/2021) लिछमणराम बनाम भुण्डाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की गयी है। साथ ही भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर ग्राम बिरडावास से ग्राम गोलिया को जोडने वाले रास्ते से स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 486 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा व खसरा संख्या 287 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बिरडावास तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 490 की पूर्वी दिशा की माठ के सहारे-सहारे चलने वाले रास्ते को सार्वजनिक घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

और तहसीलदार जोधपुर से मौका रिपोर्ट मांगी गयी। तत्पश्चात पक्षकारान की सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2022 पारित करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स पर समुचित तामील कराये बिना ही अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया है। अपीलाण्ट्स के पते पर किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट के खेत में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं चलता है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में नये रास्ते के प्रावधान दिये गये है। खसरा संख्या 486 व 487 का आवागमन हेतु खसरा संख्या 489 के पूर्व दिशा की तरफ सार्वजनिक कम दूरी वाला एवं सीधा उचित रास्ते का विकल्प होते हुए भी उक्त खसरा संख्या 489 से रास्ता नहीं निकाल कर जानबुझ कर खसरा संख्या 490 में सरासर गलत रूप से विचारण न्यायालय द्वारा इकतरफा कार्यवाही करते हुए रास्ते का आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व मौका रिपोर्ट का भी सही अवलोकन नहीं किया गया और न ही सर्वाधिक उपयुक्त एवं कम दूरी वाले रास्ते बाबत ध्यान दिये बिना ही खसरा संख्या 490 में से टेडे-मेढे रास्ते का आदेश पारित कर दिया। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2022 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सर्वप्रथम अपीलाण्ट्स को दिनांक 15 जनवरी 2023 को पटवारी हळका द्वारा बताये जाने पर हुई। तब दिनांक 16 जनवरी 2023 को विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 18 जनवरी 2023 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त होने पर समुचित एवं विधिवत जानकारी प्राप्त हुई। आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गयी है, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये गये, किन्तु समुचित समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्राप्ति रसीद अथवा मूल सम्मन लौट कर नहीं आने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप समुचित एवं सम्यक तामील मानी गयी और अपीलाण्ट्स के उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 08 मार्च 2022 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। इसके बाद दिनांक 12 जुलाई 2022 को अपीलाण्ट पन्नाराम की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मिसल आइन्दा जबाब व बहस हेतु मुकर्रर की गयी। आगामी पेशी 19 जुलाई 2022 को अपीलाण्ट्स संख्या एक व दो की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित होकर वास्ते जबाब समय चाहा गया, जो दिया गया। इसके उपरान्त भी पेशी-दर-पेशी समुचित समय उपलब्ध कराया जाने के उपरान्त भी अपीलाण्ट्स की ओर से कोई जबाब पेश नहीं होने के कारण दिनांक 27 सितम्बर 2022 को अपीलाण्ट्स के जबाब का अवसर बंद किया गया। इन परिस्थितियों में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स द्वारा यह अभिकथन किया जाना सही नहीं है कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स को जबाब एवं सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने कथन किया कि अपनी खातेदारी की भूमि तक आवागमन हेतु रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी के खेत संख्या संख्या 490 की पूर्वी माठ के सहारे स्थित रास्ते का कदीम से उपयोग किया जाता रहा है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता कम दूरी का नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए न्यायहित में अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 01 जून 2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम बिरडावास से ग्राम गोलिया को जोडने वाले रास्ते से प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 486 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा व खसरा संख्या 287 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बिरडावास तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवागमन हेतु उक्त मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा किश्तवार में तीन रास्ते कमशः बिन्दु ए से बी, बिन्दु इ से एफ तथा बिन्दु सी से डी दर्शाये गये है, जिनमें से खसरा संख्या 490 की माठ से सहारे-सहारे बिन्दु ए से बी समकोणीय मोड वाले रास्ते की लम्बाई 79 गट्ठा, बिन्दु इ से एफ रास्ता जो कि खसरा संख्या 489 के मध्य में दर्शाया गया है, की लम्बाई 63 गट्ठा तथा बिन्दु सी से डी खसरा संख्या 489 की माठ के सहारे रास्ते की लम्बाई 79 गट्ठा मौका रिपोर्ट में अंकित की गयी है। जाहिर है कि इन तीनों में से 63 गट्ठा लम्बाई वाला द्वारा न्यूनतम दूरी का सीधा रास्ता है किन्तु यह खसरा संख्या 489 के मध्य से होकर निकलने के कारण उचित रास्ता नहीं है। इसके अलावा बचे दो रास्तो की लम्बाई समान है किन्तु इनमें से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदत्त रास्ता बिन्दु ए से डी समकोणीय मोड युक्त है जबकि दूसरा वैकल्पिक रास्ता बिन्दु सी से डी खसरा संख्या 489 की माठ के सहारे-सहारे सरल-रेखीय सीधा रास्ता है जो अधिक व्यवहारिक एवं उपयुक्त नजर आता है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई विचार ही नहीं किया गया है। अतः अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2022 अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 489 वाके मौजा बिरडावास के रिकार्डेड खातेदार/खातेदारान को मामले में पक्षकार कायम किया जावे, तत्पश्चात सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त आब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में खसरा संख्या 489 की माठ के सहारे-सहारे बिन्दु इ से एफ सरल रेखीय रास्ते के तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुनः न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर